

189



न्यायालय राजस्व मण्डल ग्रालियर जिला ग्रालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक १२०००-०८ निगरानी-५७८२/२०१८/हरदा/भृ०

श्री S. P. Dholakia Adv.  
दाय आज दि. २२-९-१८  
प्रस्तुति प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक २५-९-१८ संयत।

*[Signature]*  
राजस्व मण्डल, भृत्यालियर

श्रीमती शकुन्तला पत्नी राधोश्याम  
पाराशर कृष्णक ग्राम नांदवा, निवासी  
नांदवा हाल निवास ३६ अमरीक विहार  
शिवपुरी रोड नंदनपुरा झाँसी द्वारा  
मुख्याराम विनीत पाराशर पुत्र  
राधोश्याम पाराशर निवासी ३६ अमरीक  
विहार शिवपुरी रोड नंदनपुरा झाँसी

- निगरानीकर्ता

#### बनाम

१. सर्वसाधारण
  २. सुधीर कुमार पारे पुत्र स्व श्री गुलाब  
चंद पारे निवासी आधारताल जबलपुर  
म.प्र.
- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म.प्र.भू राजस्व संहिता १९५९  
विलोप अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील  
रहटगांव जिला हरदा के द्वारा प्रकरण क्रमांक २३३/६-२  
वर्ष २०१७-२०१८ मे पारित आदेश दिनांक २४.७.२०१८

*(Signature)*  
२२-९-१८

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—5782 / 2018 / हरदा / भू. रा.

श्रीमती शकुन्तला विरुद्ध सर्वधारण व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह नायब तहसीलदार, तहसील रहटगांव, जिला—हरदा के प्र.क्र. 23अ/6-2/2017-2018 में पारित आदेश दिनांक 24-07-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला—हरदा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p>	<p><i>मेरी</i> (आर.के. जैन) सदस्य 12-02-2019</p>